भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *76
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

भीख मांगने वाले बच्चे

***76 :श्री राजीव राय .**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बड़े शहरों और टियर II कस्बों में रोड क्रॉसिंग और ट्रैफिक लाइटों पर भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;
(ख) यदि हां, तो इन बच्चों की संख्या कितनी है और उनका औसत आयु समूह क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इन बच्चों के लिए कोई पुनर्वास योजना बनाई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थिति सुधारने के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान कितना व्यय किया गया है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ) :विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

“भीख मांगने वाले बच्चों“ के संबंध में श्री राजीव राय द्वारा दिनांक 07.02.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिसे "भिक्षावृत्ति" विषय आवंटित किया गया है, ने सूचित किया है कि बड़े शहरों और द्वितीय श्रेणी के शहरों में सड़क के चौराहों और ट्रैफिक लाइटों पर भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग केंद्रीय क्षेत्र योजना “स्माइल - आजीविका एवं उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों हेतु सहायता” कार्यान्वित करता है, जिसमें भीख मांगने वाले बच्चों सहित ‘भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास’ के लिए उप-योजना शामिल है। इस योजना में भीख मांगने वाले बच्चों/भीख मांगते हुए पाए गए व्यक्तियों के बच्चों को भोजन, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, पुनर्वास, बुनियादी दस्तावेजीकरण, कौशल विकास प्रदान किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से ‘मिशन वात्सल्य’ नामक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं दोनों शामिल हैं। इस योजना में बाल भिखारियों सहित बच्चों को उनके पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए सेवाएं प्रदान की जाती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ, आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि

में सहयोग करते हैं। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को गैर-संस्थागत देखभाल के तहत सहायता प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल, दत्तक - ग्रहण तथा पश्चात देखभाल के माध्यम से प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत 4317.14 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आगे बताया है कि 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए विभिन्न अधिनियम बनाए हैं। इसके अलावा, 15 राज्यों ने भिक्षावृत्ति की चुनौती से निपटने के लिए अपनी प्रशासनिक योजनाएँ बनाई हैं।

*****